

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 354]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 17, 2014/माघ 28, 1935

No. 354]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 17, 2014/MAGHA 28, 1935

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2014

सं. 12/2014-सीमा-शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 419(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 2 के खंड (34) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 40/2012-सीमा-शुल्क (गै.टै.), दिनांक 2 मई, 2012, जिसे का.आ. 993(अ), दिनांक 2 मई, 2012 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा :—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,

(i) क्र.सं. 2 के समक्ष, कालम (3) में, मद (ii) के लिए निम्नलिखित मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :—

“(ii) धारा 149 (सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 47 अथवा धारा 51, जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत वस्तुओं की निकासी का आदेश हो जाने के पश्चात्);”

(ii) क्र.सं. 3 के समक्ष, कालम (3) में, मद “(xxxvi)” के पश्चात् निम्नलिखित अंतस्थापित किया जाएगा, यथा :—

“(xxxvii) धारा 149 (सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 47 अथवा धारा 51, जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत वस्तुओं की निकासी का आदेश हो जाने से पूर्व).”.

[फा. सं. 437/07/2014- सीमा शुल्क IV]

आर. पी. सिंह, निदेशक (सीमा-शुल्क)

नोट :—प्रधान अधिसूचना सं. 40/2012-सीमा-शुल्क (गै.टै.), दिनांक 2 मई, 2012 को का.आ. 993(अ), दिनांक 2 मई, 2012 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 76/2012-सीमा-शुल्क (गै.टै.), दिनांक 27 अगस्त, 2012, का.आ. 1972(अ), के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, 17th February, 2014.

No. 12/2014-Customs (N.T.)

S.O. 419(E).—In exercise of the powers conferred by clause (34) of Section 2 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, (Department of Revenue), No. 40/2012-Customs (N.T.), dated the 2nd May, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 993 (E), dated the 2nd May, 2012, namely :—

In the said notification, in the TABLE,—

- (i) against sl. no.2, in column (3), for item (ii), the following item shall be substituted, namely :—

“(ii) Section 149 (after grant of order for clearance of goods under Section 47 or Section 51 of the Customs Act, 1962 as the case may be).” ;

- (ii) against sl. no. 3, in column (3), after item “(xxxvi)” the following shall be inserted, namely :—

“(xxxvii) Section 149 (before grant of order for clearance of goods under Section 47 or Section 51 of the Customs Act, 1962 as the case may be).”.

[F. No. 437/07/2014- Cus. IV]

R. P. SINGH, Director (Customs)

Note:—The principal notification No. 40/2012-Customs (N.T.), dated the 2nd May, 2012 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 993(E), dated the 2nd May, 2012 and was last amended by notification No. 76/2012-Customs (N.T.), *vide* number S.O. 1972(E), dated the 27th August, 2012.